अध्याय 2

ऊर्जा और विद्युत

अध्याय 2

उर्जा और विद्युत

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

2.1 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का कार्यान्वयन

योजना के अंतर्गत सभी 21 परियोजनाओं के कार्यों को 306 दिनों से 657 दिनों के मध्य की देरी के साथ 470 दिनों की औसत देरी के साथ प्रदान किया गया था। कोई भी कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं किया गया था और विलंब 47 दिनों से 690 दिनों के मध्य था। योजना को समय पर प्रदान करने और पूरा करने के संबंध में लक्ष्य हासिल करने में विफलता तथा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रक्षेप-पथ के अनुसार समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि में कमी के लक्ष्यों की अप्राप्ति के परिणामस्वरूप ₹ 36.93 करोड़ की अतिरिक्त अनुदान राशि प्राप्त करने का अवसर गंवाने की संभावना है।

2.1.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि बिजली फीडरों को अलग करने के लिए "दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" शुरू की (दिसंबर 2014)। इससे वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों और उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग और सब-प्रसारण एवं वितरण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने एवं बढ़ाने की सुविधा होगी। 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्यों को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में शामिल किया गया था।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय था। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी सचिव, विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति[1] (एम.सी.) द्वारा की जाती है। विद्युत मंत्रालय के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के संचालन तथा कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आर.ई.सी.) नोडल एजेंसी है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने भारत सरकार से अनुदान प्राप्त किया और सभी निधियों को कार्यान्वयन एजेंसियों को चैनलाइज़ किया।

---

[1] योजना के दिशा-निर्देशों के अनुमोदन, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों/परियोजनाओं की मंजूरी, कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा आदि के लिए सचिव, विद्युत मंत्रालय (अध्यक्ष) विशेष सचिव/अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय; प्रधान सलाहकार (ऊर्जा), योजना आयोग/उत्तराधिकारी संगठन को मिलाकर बनी समिति।

हरियाणा राज्य में दो बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम्ज)[2] विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा राज्य स्तरीय स्थायी समिति[3] (एस.एल.एस.सी.) द्वारा नोडल एजेंसी को विधिवत अनुशंसित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने एवं दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारण करना था कि क्या वितरण कंपनियों ने कार्यों के निष्पादन में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया था तथा उपलब्ध निधियों का किफ़ायती एवं कुशल ढंग से उपयोग किया गया था।

लेखापरीक्षा दोनों राज्य वितरण कंपनियों (उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड) के प्रधान कार्यालयों को कवर करते हुए आयोजित की गई थी, जिसमें 21 में से पांच[4] जिले/परियोजनाएं (25 प्रतिशत) और एक[5] जिला/परियोजना (पांच प्रतिशत) शामिल थी, जो उच्च मूल्य और उच्च जोखिम वाली थी। आइडिया (इंटरएक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस) सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए जिलों/परियोजनाओं का चयन बिना प्रतिस्थापन पद्धति के साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन द्वारा किया गया था।

2.1.2 योजना का वित्त-पोषण तंत्र तथा वहन किया गया व्यय

हरियाणा में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के वित्त-पोषण तंत्र को **तालिका 2.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1: दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का वित्त-पोषण तंत्र

एजेंसी	सहयोग की प्रकृति	सहयोग की मात्रा (परियोजना लागत की प्रतिशतता)
भारत सरकार	अनुदान	60
वितरण कंपनियों का योगदान	स्वयं की निधि	10
ऋणदाता (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड/वित्तीय संस्थान/बैंक)	ऋण	30
निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान	अनुदान	कुल ऋण घटक (30 प्रतिशत) का 50 प्रतिशत अर्थात् 15 प्रतिशत
भारत सरकार द्वारा अधिकतम अनुदान (निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर अतिरिक्त अनुदान सहित)	अनुदान	75

स्रोत: दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के दिशानिर्देश

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पर स्वीकृत राशि, जारी की गई राशि और वास्तविक व्यय का सारांश **तालिका 2.2** में उल्लिखित है।

2 उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

3 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के दिशा-निर्देशों तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, हरियाणा सरकार एवं वितरण कंपनियों के मध्य निष्पादित त्रिपक्षीय अनुबंध (जनवरी 2016) के अनुसार, हरियाणा सरकार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एस.एल.एस.सी.) का गठन करना था।

4 कुरुक्षेत्र, रोहतक, झज्जर, सिरसा और भिवानी।

5 भिवानी।

तालिका 2.2: दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि, जारी की गई राशि तथा किया गया वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड			दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड			कुल हरियाणा		
	स्वीकृत राशि	जारी की गई अनुदान राशि	किया गया वास्तविक व्यय	स्वीकृत राशि	जारी की गई अनुदान राशि	किया गया वास्तविक व्यय	स्वीकृत राशि	जारी की गई अनुदान राशि	किया गया वास्तविक व्यय
2015-16	153.38	शून्य	शून्य	162.69	शून्य	शून्य	316.07	शून्य	शून्य
2016-17		शून्य	शून्य		शून्य	शून्य		शून्य	शून्य
2017-18		9.16	शून्य		43.72	64.27		52.88	64.27
2018-19		18.47	40.09		शून्य	11.28		18.47	51.37
2019-20		17.81	66.24		29.88	39.99		47.69	106.23
2020-21			46.23		3.74	13.78		3.74	60.01
2021-22		37.06	11.45		शून्य	शून्य		37.06	11.45
कुल	**153.38**	**82.50**	**164.01**	**162.69**	**77.34**	**129.32**	**316.07**	**159.84**	**293.33**

स्रोत: वितरण कंपनियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकलित

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत दो वितरण कंपनियों के लिए स्वीकृत कुल परियोजनाओं की लागत ₹ 316.07 करोड़ थी जबकि वास्तविक व्यय ₹ 293.33 करोड़ था। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में व्यय (₹ 164.01 करोड़) ₹ 153.38 करोड़ की स्वीकृत राशि से अधिक था जबकि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ₹ 162.69 करोड़ की स्वीकृत लागत के प्रति ₹ 129.32 करोड़ का व्यय कर सका।

लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा ने वितरण कंपनियों द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के कार्यान्वयन में कमियां पाईं।

2.1.3 परियोजना में देरी और प्रभाव

क. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना दिशानिर्देश (दिसंबर 2014) में निर्धारित किया गया था कि परियोजनाओं को निगरानी समिति के अनुमोदन की सूचना की तारीख के छः महीने के भीतर अर्थात् 20 मार्च 2016 तक प्रदान किया जाना था। परियोजना का कार्य टर्नकी अनुबंध के मामले में लेटर ऑफ अवार्ड (एल.ओ.ए.) जारी होने की तारीख से 24 महीने (मार्च 2018 तक) और आंशिक टर्नकी अनुबंध/विभागीय निष्पादन के मामले में 30 महीने के भीतर पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने दोनों वितरण कंपनियों की सभी 21 परियोजनाओं के संबंध में लेटर ऑफ इनटेंट जारी करने और उनके पूरा होने में विलंब अवलोकित किया, जैसा कि **तालिका 2.3** में वर्णित है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में अक्तूबर 2017 और जनवरी 2018 के बीच और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में जनवरी 2017 और अप्रैल 2017 के बीच लेटर ऑफ इनटेंट जारी किए गए थे। विलंब, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित तिथि (मार्च 2016) के 306 दिनों (हिसार, जींद और फतेहाबाद) से 657 दिनों (यमुनानगर, पानीपत और अंबाला) की सीमा में था। आगे, परियोजनाओं को पूरा

करने की निर्धारित तिथि से पूरा होने में विलंब उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में 47 दिनों (यमुनानगर) से 410 दिनों (झज्जर) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में 163 दिनों (भिवानी) से 690 दिनों (फतेहाबाद) तक था।

तालिका 2.3: परियोजनाओं के आबंटन और पूर्ण होने में विलंब

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रदानगी की निर्धारित तिथि	वितरण कंपनियों द्वारा परियोजना की प्रदानगी की तिथि	प्रदानगी में देरी (दिनों में)	पूर्णता की निर्धारित तिथि	परियोजना के पूरा होने की तिथि	परियोजना के समाप्त होने की तिथि (अनंतिम)	पूरा करने में देरी (दिनों में)
	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड							
1	पंचकुला	31 मार्च 2016	3 अक्तूबर 2017	551	2 अक्तूबर 2018	जून 2019	28 नवंबर 2020	242
2	रोहतक		16 नवंबर 2017	595	15 मई 2019	जनवरी 2020	05 जनवरी 2021	230
3	झज्जर		16 नवंबर 2017	595	15 फरवरी 2019	मार्च 2020	03 मार्च 2021	380
4	कैथल		19 दिसंबर 2017	628	18 जून 2019	दिसंबर 2019	05 मार्च 2021	166
5	कुरुक्षेत्र		19 दिसंबर 2017	628	18 जून 2019	दिसंबर 2019	09 मार्च 2021	166
6	यमुनानगर		17 जनवरी 2018	657	16 जुलाई 2019	सितंबर 2019	15 मार्च 2021	47
7	सोनीपत		3 अक्तूबर 2017	551	2 अक्तूबर 2018	सितंबर 2019	28 नवंबर 2020	334
8	पानीपत		17 जनवरी 2018	657	16 जनवरी 2019	सितंबर 2019	05 जनवरी 2021	228
9	अंबाला		17 जनवरी 2018	657	16 जुलाई 2019	मार्च 2020	18 मार्च 2021	229
10	करनाल		विभागीय निष्पादन			फरवरी 2020	11 फरवरी 2021	--
	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड							
1	भिवानी	31 मार्च 2016	02 मार्च 2017	336	30 मार्च 2019	09 सितंबर 2019	15 दिसंबर 2020	163
2	गुरुग्राम		27 अप्रैल 2017	392	26 अप्रैल 2018	21 मई 2019	27 नवंबर 2020	390
3	फरीदाबाद		27 अप्रैल 2017	392	26 अप्रैल 2018	12 अक्तूबर 2019	10 दिसंबर 2020	534
4	फतेहाबाद		31 जनवरी 2017	306	30 अप्रैल 2018	20 मार्च 2020	03 दिसंबर 2020	690
5	जींद		31 जनवरी 2017	306	30 जुलाई 2018	09 अक्तूबर 2019	03 दिसंबर 2020	436
6	महिंदरगढ़		02 मार्च 2017	336	01 जून 2018	22 अगस्त 2019	15 दिसंबर 2020	447
7	मेवात		27 अप्रैल 2017	392	26 जुलाई 2018	15 जनवरी 2020	09 दिसंबर 2020	538
8	पलवल		27 अप्रैल 2017	392	26 जुलाई 2018	20 मई 2019	09 दिसंबर 2020	298
9	रेवाड़ी		27 अप्रैल 2017	392	26 अक्तूबर 2018	25 नवंबर 2019	07 दिसंबर 2020	395
10	सिरसा		02 मार्च 2017	336	1 सितंबर 2018	26 दिसंबर 2019	01 दिसंबर 2020	481
11	हिसार		31 जनवरी 2017	306	विभागीय निष्पादन	07 अगस्त 2019	14 जनवरी 2021	--

स्रोत: वितरण कंपनियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकलित

परियोजनाओं के आबंटन में औसत विलंब 470 दिन था जबकि परियोजनाओं को पूरा करने में औसत विलंब 340 दिन था। परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब मुख्य रूप से ठेकेदारों की ओर से था जैसे केबलों के नमूनों की विफलता के कारण निधियों की कमी और उनका भुगतान रोक दिया जाना, कार्यों की धीमी प्रगति, दोषों के सुधार में देरी।

वितरण कंपनियों ने उत्तर दिया (जनवरी 2022) कि प्रदानगी में देरी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा शर्तों में बार-बार बदलाव और बोलीदाताओं द्वारा खराब प्रतिक्रिया के कारण थी। उन्होंने यह भी बताया कि निष्पादन में देरी कुछ संविदात्मक मुद्दों, मार्ग अधिकार के मुद्दों, जन बाधा के कारण थी तथा देरी के लिए ठेकेदारों पर लिक्विडेटेड हर्जाना लगाया गया है। मुद्दा यह है कि कोई भी परियोजना निर्धारित समय के भीतर पूरी नहीं हुई थी और परिकल्पित लाभों में देरी हुई थी।

ख. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत स्वीकार्य 60 प्रतिशत अनुदान के अलावा, ऋण घटक के 50 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त अनुदान (अर्थात, 15 प्रतिशत) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा जारी किया जाना था, जो योजना के समय पर पूरा होने के अलावा निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के अधीन था।

क) राज्य सरकार (वितरण कंपनी-वार) के परामर्श से विद्युत मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रक्षेप-पथ के अनुसार कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए.टी. एंड सी.) हानियों में कमी।

ख) मीटर खपत के आधार पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य राजस्व सब्सिडी का अग्रिम भुगतान।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के दिशा-निर्देशों (दिसंबर 2014) के साथ राज्य सरकारों (वितरण कंपनी-वार) के परामर्श से विद्युत मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए वास्तविक तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि में कमी के प्रक्षेप-पथ से अवगत कराया गया था। उपयोगिता के वास्तविक तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि के आंकड़े की स्थिति के अनुपालन का आकलन करने के लिए अंतिम रूप दिए गए प्रक्षेप-पथ के अनुसार संबंधित वास्तविक कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि स्तर के साथ तुलना की जानी थी। वितरण कंपनियों के लिए कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि प्रक्षेप-पथ को अंतिम रूप दिया गया और इसकी वास्तविक स्थिति **तालिका 2.4** में दी गई है:

तालिका 2.4: वितरण कंपनियों की कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां

(प्रतिशत में)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड					
लक्ष्य	24.48	22.20	20.44	19.31	18.17
वास्तविक	30.71	25.46	21.12	20.10	16.55
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड					
लक्ष्य	18.74	17.01	15.66	14.79	13.92
वास्तविक	21.66	16.31	14.67	16.30	15.97

स्रोत: वितरण कंपनियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकलित।

2016-17 से 2019-20 में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के लिए तथा 2016-17, 2019-20 और 2020-21 में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रक्षेप-पथ के अनुसार समयबद्ध प्रदानगी और योजना को पूरा करने तथा तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे में कमी न करने के संबंध में निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में विफल होने के कारण वितरण कंपनियों को ₹ 36.93 करोड़ (उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में ₹ 19.87 करोड़[6] और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में ₹ 17.06 करोड़[7]) की अतिरिक्त अनुदान राशि का नुकसान हो सकता है। मार्च 2021 तक परियोजनाओं के पूरा होने के तुरंत बाद अतिरिक्त अनुदान का दावा किया जा सकता था। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने मार्च 2022 में अतिरिक्त अनुदान का दावा किया था जबकि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने मई 2022 तक दावा नहीं किया था।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बताया (जनवरी 2022) कि यद्यपि परियोजनाएं विस्तारित समय के अंदर पूरी हो गई थीं, फिर भी समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक

---

6 प्रदान की गई लागत ₹ 149.30 करोड़ घटा राज्य वस्तु एवं सेवा कर ₹ 13.09 करोड़, घटा परिसमाप्त क्षति ₹ 3.74 करोड़ = ₹ 132.47 करोड़ X 15 प्रतिशत = ₹ 19.87 करोड़।

7 निष्पादित लागत ₹ 129.18 करोड़, घटा राज्य वस्तु एवं सेवा कर ₹ 11.26 करोड़, घटा परिसमाप्त क्षति ₹ 4.17 करोड़ = ₹ 113.75 करोड़ X 15 प्रतिशत = ₹ 17.06 करोड़।

हानि का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बताया कि कंपनी ने अतिरिक्त अनुदान घटक का दावा करने के लिए सभी निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और अतिरिक्त अनुदान घटक जारी करने के लिए मामले को नोडल एजेंसी के साथ उठाया जा रहा था।

उत्तर विश्वासप्रद नहीं था क्योंकि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में कमी थी। इसके अलावा, राज्य सरकार स्वीकार्य राजस्व सब्सिडी जारी करने में विफल रही थी जो अतिरिक्त अनुदान का दावा करने के लिए तीसरा निर्धारित लक्ष्य था। इस प्रकार, वितरण कंपनियां अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने का अवसर खो सकती हैं।

2.1.4 कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में परिकल्पना की गई थी कि गैर-कृषि उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति के बढ़े हुए घंटे प्रदान करना तथा कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग करके कृषि उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना संभव था। हरियाणा राज्य की आवश्यकताओं का सारांश, विद्युत मंत्रालय द्वारा संस्वीकृतियां और फीडरों/नए फीडर घटकों के पृथक्करण की प्राप्तियों का विवरण नीचे **तालिका 2.5** में दिया गया है:

तालिका 2.5: फीडरों/नए फीडरों का पृथक्करण

घटक का नाम	विस्तृत परियोजन रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की आवश्यकताएं	विद्युत मंत्रालय की संस्वीकृति	वास्तविक प्राप्ति	अभ्युक्तियां
फीडरों/नए फीडरों का पृथक्करण (संख्या)	331 (उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड-112 तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड-219)	331	211 (दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड)	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने पहले ही अपने फीडर अलग कर दिए थे।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा गया है कि हरियाणा में 331 फीडरों को अलग करने के लिए संस्वीकृत किया गया था। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के मामले में, फीडर अलग करने के संबंध में वास्तविक प्राप्ति 219 की संस्वीकृत संख्या के विरूद्ध 211 थी। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के मामले में, वितरण कंपनी ने उल्लेख किया था कि सभी फीडर पहले ही अलग किए जा चुके थे।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने उत्तर दिया (जनवरी 2022) कि रास्ते के अधिकार के मुद्दे/सार्वजनिक बाधा के कारण शेष आठ फीडरों के संबंध में कार्य निष्पादित नहीं किया जा सका।

2.1.5 वितरण ट्रांसफार्मरों की मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-प्रसारण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन

ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और ग्राम विद्युतीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त मीटरिंग व्यवस्था के साथ-साथ उप-प्रसारण एवं वितरण बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन एक आवश्यक घटक है। हरियाणा की आवश्यकताओं का सारांश, विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृतियां और प्रत्येक घटक के विरूद्ध प्राप्तियों का विवरण नीचे **तालिका 2.6** में दिया गया है:

तालिका 2.6: उप-प्रसारण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन

घटक का नाम	विस्तृत परियोजन रिपोर्ट/राज्य योजना के अनुसार राज्यों की आवश्यकताएं	विद्युत मंत्रालय की संस्वीकृति	वास्तविक प्राप्ति
33 किलोवोल्ट/66 किलोवोल्ट लाइन बिछाना (सर्किट किलोमीटर)	123	123	136.21
नए सब-स्टेशनों का निर्माण (संख्या)	14	14	14
मौजूदा सब-स्टेशनों का विस्तार (संख्या)	1	1	19
मीटरिंग (संख्या)	46,044	46,044	85,695

स्रोत: वितरण कंपनियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकलित

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि हरियाणा में वितरण कंपनियों ने उप-प्रसारण एवं वितरण बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन के संबंध में लक्ष्य प्राप्त किए थे। 19 सब-स्टेशनों में से, 18 सब-स्टेशनों को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा शून्य के लक्ष्य के विरुद्ध संवर्धित किया गया था। इसी प्रकार, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने मीटरिंग की 15,583 और 30,461 की संख्या के लक्ष्य के विरूद्ध क्रमशः 1,964 और 37,687 की संख्या का अधिक लक्ष्य प्राप्त किया।

2.1.6 11 किलोवोल्ट क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथलीन केबल का निर्माण

यमुनानगर जिले में (उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए सामग्री की आपूर्ति और निर्माण का कार्य ₹ 17.12 करोड़ की कुल लागत पर ठेकेदार को प्रदान किया गया था (जनवरी 2018)।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने अवलोकित किया (मार्च 2018) कि निविदा आमंत्रण सूचना में प्रदान की गई हाई टेंशन एरियल बंच्ड (एचटी एबी) केबल बार-बार क्षतिग्रस्त होने की संभावना थी और इसकी मरम्मत की जानी थी। इसलिए, उन्होंने 11 किलोवोल्ट हाई टेंशन क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथलीन (एक्स.एल.पी.ई.) केबल का उपयोग करने का निर्णय लिया। हालांकि, ठेकेदार 11 किलोवोल्ट हाई टेंशन क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथलीन केबल की आपूर्ति और निर्माण के लिए सहमत नहीं था (मई 2018) क्योंकि यह निविदा आमंत्रण सूचना का हिस्सा नहीं था और बाद के चरण में जोड़ा गया था। ठेकेदार इस मद के लिए मानक बोली दस्तावेज (एस.बी.डी.) के अनुसार नई दरों की पेशकश करने की अनुमति चाहता था, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि किसी परिवर्तित मद की दरें और मूल्य अनुबंध में उपलब्ध नहीं थे, तो उसके पक्षकारों को विशिष्ट दरों पर सहमत होना चाहिए। तथापि, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने स्वयं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा निर्धारित ₹ 796.61[8] प्रति मीटर की दर से 48.450 किलोमीटर 11 किलोवोल्ट हाई टेंशन क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथलीन केबल की आपूर्ति एवं लगाने का कार्य प्रदान किया (जून 2018)।

ठेकेदार ने कार्य आदेश को रद्द करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से संपर्क किया (जुलाई 2018) जहां ठेकेदार को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए प्रबंध निदेशक के समक्ष पेश होने

---

8 कंपनी के प्लानिंग एंड डिज़ाइन (पी.डी.) विंग द्वारा निर्धारित दरें ₹ 741.790 प्रति मीटर और 7.39 प्रतिशत की दर से प्रीमियम।

की अनुमति दी गई थी। कंपनी ने 11 किलोवोल्ट हाई टेंशन क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथलीन केबल के वस्तु एवं सेवा कर सहित ₹ 940[9] प्रति मीटर के स्थान पर ₹ 1,139.80[10] प्रति मीटर की मोल-भाव दर की पेशकश की।

ठेकेदार ने 11 किलोवोल्ट हाई टेंशन क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथलीन केबल की 48.968 किलोमीटर की आपूर्ति की एवं लगाई तथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की स्वीकृत दरों की तुलना में ₹ 97.84 लाख[11] का अतिरिक्त व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अन्य ठेकेदारों ने अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक और कैथल जिलों में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना परियोजनाओं के अंतर्गत उसी प्रकार केबल की आपूर्ति की और स्थापित की जो पहले निविदा आमंत्रण नोटिस में प्रदान नहीं की गई थी। इन सभी जिलों में, ठेकेदारों को अनुमत दरें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (पी.डी. दरें) के आयोजना एवं डिजाइन विंग द्वारा परिगणित की गई दरें और उद्धृत प्रीमियम था।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बताया (जनवरी 2022) कि हैवेल्स ब्रांड के केबल्स के अधिकृत डीलर से प्राप्त कोटेशन के आधार पर दर निर्धारित की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि केबल का मूल्य (₹ 5.58 करोड़) निर्धारित करने का औचित्य एकल कोटेशन पर आधारित था जो कंपनी द्वारा पहले से प्राप्त गई दरों से अधिक था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, अपर मुख्य सचिव (विद्युत), हरियाणा ने बताया कि केबल को अनुबंध के दायरे से बाहर रखा जा सकता था और यह जांच करने के लिए कहा गया कि किस स्तर पर निर्णय लिया गया था। आगे, एकल कोटेशन के बजाय प्रतिस्पर्धी बोली आमंत्रित की जानी चाहिए थी।

2.1.7 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री के संबंध में अंतरीय लागत की वसूली न होना

टर्नकी परियोजनाओं के मामले में, ठेकेदारों को कार्यादेश के अनुसार सामग्री की आपूर्ति के साथ-साथ कार्य पूर्ण होने की निर्धारित अवधि के अंदर निर्माण करना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा ने देखा कि सिरसा और भिवानी जिलों के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए संयंत्र और उपकरण (स्थापना सहित) की आपूर्ति के लिए कार्य आदेश, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नई 11 किलोवोल्ट लाइन का निर्माण, मौजूदा 11 किलोवोल्ट लाइनों का संवर्धन, नई एल.टी. लाइन का निर्माण, नए सब-स्टेशन के निर्माण शामिल थे, विभिन्न ठेकेदारों[12] को जारी किए गए थे (मार्च 2017 से मार्च 2018 के दौरान)।

---

9 ₹ 741.790/मीटर की दर पर पीडी दर + ₹ 54.82 (7.39 प्रतिशत की दर पर प्रीमियम) + ₹ 143.39 (₹ 796.61 पर वस्तु एवं सेवा कर 18 प्रतिशत) = ₹ 940/ मीटर।

10 ₹ 814 + ₹ 146.52 (₹ 814 पर वस्तु एवं सेवा कर 18 प्रतिशत)+ उपरिव्यय ₹ 100.85 (₹ 960.52 का 10.5 प्रतिशत) + प्रीमियम ₹ 78.43 (₹ 1,061.37 पर 7.39 प्रतिशत) = ₹ 1,139.80 प्रति मीटर।

11 ₹ 1,139.80 प्रति मीटर - ₹ 940 प्रति मीटर = 199.8/मीटर X 48.968 किलोमीटर।

12 सिरसा जिला (टी.ई.डी.-240)- मैसर्ज रिद्धी सिद्धि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी भिवानी (ई.ओ.आई.-05) - मैसर्ज इलेक्ट्रिकल सेल्स कार्पोरेशन, गुरुग्राम, मैसर्ज नेत राम मणि राम इलेक्ट्रिकल कंपनी, हनुमानगढ़ तथा मैसर्ज सरदाना इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल स्टोर, तोशाम।

ठेकेदारों ने वित्तीय संकट का हवाला देते हुए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड से अनुरोध किया (नवंबर 2018 और फरवरी 2019) कि वह एल्यूमीनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड (ए.सी.एस.आर.) कंडक्टर, डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर, प्लेन सीमेंट कंक्रीट (पी.सी.सी.) पोल, मीटर कवर बॉक्स, गैंग ऑपरेटेड (जी.ओ.) स्विच, पावर ट्रांसफार्मर (सब-स्टेशन के लिए), 11 किलोवोल्ट 8 पैनल बोर्ड, जैसी सामग्री प्रदान करे जो उन्हें अन्यथा आबंटित कार्यों के संबंध में खरीदना और स्थापित करना/लगाना अपेक्षित था। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने परियोजनाओं के हित में, भंडार में उपलब्धता और अंतरीय लागत की वसूली, यदि कोई लागू हो, के अधीन ठेकेदारों को सामग्री आबंटित करने का निर्णय लिया (फरवरी 2019)।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने अनुदान का दावा करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में पी.डी. दरों[13] पर स्वयं जारी सामग्री की लागत दर्ज की थी, किंतु चार ठेकेदारों से ₹ 37.83 लाख की अंतरीय लागत वसूल नहीं की गई थी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा स्टोर से सामग्री जारी करने के लिए सहमत होने पर लिए गए निर्णय के अनुसार अंतरीय लागत वसूली योग्य थी, वसूली न होना ठेकेदारों को अनुचित लाभ देना था तथा वितरण कंपनियों के लिए हानि थी।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बताया (जनवरी 2022) कि कंपनी पर कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि सभी परियोजनाओं के मामले में ऋणात्मक अंतर राशि (लगभग ₹ एक करोड़) धनात्मक अंतर राशि (लगभग ₹ 76 लाख) से अधिक थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ठेकेदारों को सामग्री की आपूर्ति इस शर्त के साथ की गई थी कि अंतरीय लागत की वसूली की जाएगी और इन परियोजनाओं (सिरसा और भिवानी) के मामले में वसूली योग्य राशि धनात्मक और ऋणात्मक अंतरीय लागत की निवल थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, अपर मुख्य सचिव (विद्युत), हरियाणा ने वितरण कंपनियों के अधिकारियों को ऐसे मामलों में लागत पत्र तैयार करने और प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

2.1.8 वितरण ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा के लिए वितरण बक्सों की स्थापना और रखरखाव न करना

बोली दस्तावेज में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार, ट्रांसफार्मर क्षमता के अधिकतम उपयोग के लिए वितरण बॉक्स की स्थापना का प्रावधान था, जिससे ट्रांसफार्मर और फीडर को ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान की जा सके ताकि बिजली आपूर्ति में न्यूनतम रुकावट हो।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित 11 परियोजनाओं (11 जिलों[14] में) की क्लोजर रिपोर्ट की समीक्षा से पता चला कि छ:[15] जिलों में विभिन्न क्षमताओं[16] के 311 (संवर्धन सहित) वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए थे।

---

13 प्राक्कलनों को तैयार करने के लिए उपयोग की गई दरों में आकस्मिकताओं, स्थापना, परिवहन, ब्याज और वित्त लागत आदि के कारण खरीद मूल्य और उपरिव्यय शामिल हैं।

14 हिसार, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, जींद, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी।

15 फतेहाबाद, हिसार, जींद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और सिरसा।

16 25 के.वी.ए./63 के.वी.ए./100 के.वी.ए.।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 135 वितरण ट्रांसफार्मरों (311 वितरण ट्रांसफार्मर में से) के मामले में वितरण बॉक्स स्थापित नहीं किए गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि बोली दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से निर्धारित होने के बावजूद कार्य आदेशों में इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। सिरसा जिले में 83 प्रतिशत वितरण ट्रांसफार्मर वितरण बॉक्स के बिना स्थापित किए गए थे। ये वितरण बॉक्स वितरण ट्रांसफार्मरों को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए थे। पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के दिशा-निर्देशों का पालन न करने के अलावा ₹ 1.60 करोड़ मूल्य के वितरण ट्रांसफार्मरों को क्षतिग्रस्त होने का जोखिम था।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में परिचालन परिमंडल रोहतक और झज्जर के अंतर्गत यह देखा गया था कि रोहतक और झज्जर के सात गांवों[17] में स्थापित 12 (17 में से) तथा 6 (8 में से) वितरण बॉक्स (70 से 75 प्रतिशत) क्षतिग्रस्त पाए गए थे और परिणामस्वरूप बाईपास किए गए थे। अतः क्षतिग्रस्त वितरण बॉक्सों के उचित रखरखाव/मरम्मत के अभाव में इन वितरण बॉक्सों पर किए गए ₹ 110.04 लाख (रोहतक - ₹ 82.81 लाख[18] एवं झज्जर - ₹ 27.23 लाख[19]) के कुल व्यय का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाया। इसके अलावा, वितरण ट्रांसफार्मर और फीडरों के संरक्षण के अभाव में उनके क्षतिग्रस्त होने का जोखिम था।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बताया (जनवरी 2022) कि सभी क्षतिग्रस्त लो-टेंशन वितरण बॉक्सों को ठीक करने/बदलने के लिए तथा यदि सामग्री वारंटी के अंतर्गत थी तो ठेकेदारों से राशि वसूल करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए थे। तथापि, इसके अनुपालन के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी निर्देशों की प्रति लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित थी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बताया (जनवरी 2022) कि वितरण ट्रांसफार्मर संवर्द्धन के कार्यों में वितरण बॉक्स प्रदान नहीं किया गया था क्योंकि मौजूदा वितरण ट्रांसफार्मर संरचनाओं में पहले से ही लो-टेंशन फ्यूज इकाइयां थी जिनका उपयोग अधिभार के विरुद्ध सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कंपनी द्वारा मानक बोली दस्तावेज के अनुसार योजना के तकनीकी विनिर्देश का पालन नहीं किया गया था।

2.1.9 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा इंगित टिप्पणियों/विसंगतियों के अनुपालन में देरी के परिणामस्वरूप अनुदान की तीसरी किस्त की प्राप्ति न होने के कारण ब्याज की हानि हुई

जनवरी 2018 में, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने सूचित किया कि वितरण कंपनियों के साथ अव्ययित शेष राशि को कम करने और कुशल निधि प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की नई परियोजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों[20] की प्राप्ति के

---

[17] चुल्लियाना, इस्माइला 9बी, गढ़ी सांपला, मोरखेड़ी, कहानौर, तिमारपुर (रोहतक) और इस्लामगढ़ (झज्जर)।

[18] 19 63 के.वी.ए. X ₹ 27,506 + 222 100 के.वी.ए. X ₹ 29,259 = 70,18,112 + 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर।

[19] 19 63 के.वी.ए. X ₹ 27,506 + 61 100 के.वी.ए. X ₹ 29,259 = 23,07,413 + 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर।

[20] जारी किए गए अनुदान के 90 प्रतिशत का उपयोग, ऋण घटक की स्वीकृति/उपयोग, आर.ई.सी. निरीक्षण एजेंसी द्वारा अवलोकित गुणवत्ता दोषों का सुधार, यदि कोई हो, आदि।

अधीन तीसरी किस्त (अनुदान का 60 प्रतिशत) दो बराबर भागों (अनुदान के 30 प्रतिशत की दर से भाग-1 और अनुदान के 30 प्रतिशत की दर से भाग-2) में जारी की जाएगी।

गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम गुणवत्ता मॉनिटरों (आर.क्यू.एम.) का चरण-I निरीक्षण तब शुरू होना चाहिए था जब गहन विद्युतीकरण (आई.ई.) के अंतर्गत 30 प्रतिशत गांवों को सभी प्रकार से पूरा कर लिया गया हो। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम गुणवत्ता मॉनिटरों का चरण-II निरीक्षण परियोजना में शुरू और समाप्त होना चाहिए था जब 70 प्रतिशत गहन विद्युतीकरण गांवों को सभी प्रकार से पूरा किया गया हो। तथापि, फरवरी 2019 तक, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में चरण-I ग्रामीण विद्युतीकरण निगम गुणवत्ता मॉनिटर निरीक्षण के लिए अपेक्षित 486 गांवों (1619 का 30 प्रतिशत) की अपेक्षा के विरूद्ध केवल 170 गांवों में कार्य पूरा किया गया था। आठ नए सब-स्टेशनों के निर्माण से संबंधित कार्य भी फरवरी 2019 तक अधूरा था। अक्तूबर 2020 तक, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम गुणवत्ता मॉनिटर द्वारा परियोजनावार देखी गई 569[21] कमियों का समाधान किया जाना बाकी था।

इस प्रकार, लंबित दोषों के समाधान और क्लोजर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में देरी के कारण, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तीसरी किस्त (भाग I और II) के संबंध में देय ₹ 54.96 करोड़ के विरूद्ध केवल ₹ 17.82 करोड़ प्राप्त कर सका। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने इन कार्यों को स्वयं के स्रोतों/उधार ली गई निधियों से किया था और इसे अपने दायित्व को पूरा करने के लिए उपयोग की गई बैंक सीमा पर ₹ 3.47 करोड़[22] (14 माह, अप्रैल 2020 -मई 2021 के लिए गणना) के ब्याज का भुगतान करना था। यदि लंबित दोषों का समाधान तत्काल किया गया होता, तो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान पहले प्राप्त हो सकता था और ₹ 3.47 करोड़ के ब्याज के भुगतान से बचा जा सकता था।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बताया (जनवरी 2022) कि सभी दोषों को दूर कर लिया गया था और अनुदान की प्राप्ति में कोई विलंब नहीं हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मार्च 2020 तक परियोजनाओं को पूरा करने के बावजूद तीसरी किस्त जून 2021 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा इंगित टिप्पणियों/विसंगतियों के अनुपालन में देरी के कारण प्राप्त हुई थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, अपर मुख्य सचिव (विद्युत), हरियाणा ने निर्देश दिया कि वितरण कंपनियों को बेहतर प्रबंधन मॉड्यूल की आवश्यकता है ताकि दोषों को एक साथ इंगित किया जा सके। इसके अलावा, अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि भविष्य में, दावों को दर्ज करने में वित्तीय वर्ष से अधिक देरी नहीं होनी चाहिए और देरी से बचने के लिए दावा परियोजनावार दर्ज किया जाना चाहिए।

---

21 अंबाला (12), झज्जर (266), करनाल (81), पानीपत (117), रोहतक (10), सोनीपत (60) और यमुनानगर (23)

22 ₹ 54.96 - ₹ 17.82 = ₹ 37.14 X 8 प्रतिशत = ₹ 2.97 x 14= ₹ 3.47 करोड़।

2.1.10 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, हिसार परियोजना में अवमानक सामग्री का प्रयोग

मानक बोली दस्तावेज (गुणवत्ता आश्वासन एवं मूल्यांकन तंत्र) में प्रावधान है कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पी.आई.ए.) पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साइट पर आपूर्ति की गई सामग्रियों/उपकरणों की गुणवत्ता और क्षेत्र में किए गए कार्यों का निष्पादन विनिर्माण गुणवत्ता योजना (एम.क्यू.पी.)/गारंटीकृत तकनीकी विवरण (जी.टी.पी.) तथा फील्ड गुणवत्ता योजना (एफ.क्यू.पी.)/अनुमोदित आरेखण के अनुसार था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि हिसार जिले के विद्युतीकरण का कार्य ठेकेदार[23] को ₹ 18.92 करोड़ की कुल लागत पर सौंपा गया था (जनवरी 2017)। कार्य के दायरे में मौजूदा लो-टेंशन (एल.टी.) ओवरहेड लाइनों को एरियल बंच्ड (ए.बी.) केबल में बदलना भी शामिल है। कार्यादेश के अनुसार लो-टेंशन एरियल बंच्ड केबल का कुल 315.819 सर्किट किलोमीटर (सी.के.एम.) ठेकेदार द्वारा प्रदान किया जाना था जो कि फुट सर्वेक्षण के बाद 515 सर्किट किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि 515 सर्किट किलोमीटर की कुल आवश्यक मात्रा के विरूद्ध ठेकेदार ने रेलेमैक या कलिंग मेक की 310 सर्किट किलोमीटर केबल की आपूर्ति की थी।

परियोजना के निष्पादन के दौरान, ठेकेदार को अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में लिप्त पाया गया। ठेकेदार ने वास्तविक आपूर्ति की गई सामग्री के प्रति अधिक भुगतान लिया और परिणामस्वरूप अनुबंध समाप्त कर दिया गया (23 फरवरी 2018)। मामला आर्बिट्रेटर के पास विचाराधीन था।

अनुबंध की समाप्ति के बाद, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने ठेकेदार द्वारा पहले से आपूर्ति की गई और लगाई गई केबलों का स्वीकृति परीक्षण किया। परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार ₹ 9.06 करोड़ मूल्य के रिलेमैक मेक (297 सर्किट किलोमीटर) की केबल अपेक्षित विनिर्देशों के अनुरूप नहीं थी और परीक्षण तथा अंशांकन प्रयोगशालाओं (एन.ए.बी.एल.) के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा दोषपूर्ण/उप-मानक घोषित की गई थी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने इसे बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और परिणामस्वरूप 297 सर्किट किलोमीटर की दोषपूर्ण केबल अभी भी उपयोग में है। खराब केबल को न बदलकर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने सुरक्षा मानकों से समझौता किया।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बताया (जनवरी 2022) कि फर्म ने विनिर्देशों के लिए केबल की पुष्टि न करने पर विवाद किया है और मामला आर्बिट्रेटरों के समक्ष निर्णय के अधीन है और ऐसी परिस्थितियों में, निम्न मानक केबलों को विभागीय रूप से बदलना उचित नहीं होता। इसलिए प्रबंधन ने पुष्टि की कि अवमानक केबल अभी भी उपयोग में हैं।

[23] मैसर्ज दुहन इलेक्ट्रिकल वर्क्स, हिसार।

2.1.11 निष्कर्ष और सिफारिशें

- सभी 21 परियोजनाओं के कार्यों को विलंब से प्रदान किया गया। ये परियोजनाएं भी पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं कर सकीं, जिसका श्रेय ठेकेदारों के पास धन की कमी और दोषों के सुधार में देरी को दिया गया।
- समयबद्ध प्रदानगी और योजना को पूरा करने के संबंध में निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में विफलता और विद्युत मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रक्षेप-पथ के अनुसार कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि में कमी न होने के कारण, दो वितरण कंपनियों को ₹ 36.93 करोड़ की अतिरिक्त अनुदान राशि प्राप्त करने का अवसर खोने की संभावना है।
- लंबित दोषों के अनुपालन और क्लोजर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में देरी के कारण, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को तीसरी किस्त के संबंध में देय ₹ 54.96 करोड़ के विरूद्ध केवल ₹ 17.82 करोड़ का अनुदान प्राप्त हो सका, जिसने इसके वित्तीय प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था क्योंकि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने इसे उधार ली गई निधियों से पूरा किया था।

यह सिफारिश की जाती है कि वितरण कंपनियों को समय सारिणी के अंदर कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता है ताकि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत इच्छित लाभ प्राप्त किया जा सके और अधिकतम अनुदान अर्थात योजना में उपलब्ध 75 प्रतिशत प्राप्त करने के लिए योजना के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

2.2 स्वचालित पावर फैक्टर कैपेसिटर की अपर्याप्तता

पर्याप्त स्वचालित पावर फैक्टर कैपेसिटर की स्थापना न करने और रखरखाव के कारण कंपनी को 2016-17 से 2020-21 के दौरान ₹ 40.98 करोड़ के रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार का भुगतान करना पड़ा।

स्वचालित पावर फैक्टर कैपेसिटर (ए.पी.एफ.सी.) एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत प्रवाह और वोल्टेज को विनियमित करके पावर फैक्टर[24] में सुधार करता है। वोल्टेज सामान्य से कम होने की स्थिति में, पर्याप्त कैपेसिटर बैंक[25], यदि सिस्टम में उपलब्ध कराए जाते हैं, तो वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार होता है और ऊर्जा का अपव्यय कम होता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड सबसे सुरक्षित, विश्वसनीय, मितव्ययी और कुशल तरीके से बिजली व्यवस्था की योजना, विकास, रखरखाव और संचालन करने के लिए सिस्टम में प्रतिभागियों की तलाश करता है। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2012 के विनियम 48 में प्रावधान है कि 'रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार वितरण लाइसेंसधारी (अर्थात दक्षिण हरियाणा

---

24 प्रत्यावर्ती धारा विद्युत शक्ति प्रणाली के शक्ति कारक को सर्किट में प्रवाहित होने वाली स्पष्ट शक्ति के भार द्वारा अवशोषित वास्तविक शक्ति के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।

25 एक कैपेसिटर बैंक कई कैपेसिटर का एक भौतिक समूह है जो सामान्य विनिर्देशों के होते हैं।

बिजली वितरण निगम लिमिटेड और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड) द्वारा प्रसारण लाइसेंसधारी (अर्थात हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड) को हरियाणा ग्रिड कोड - रिएक्टिव ऊर्जा विनिमय के भुगतान की योजना के विनियम 5.5.1 के निबंधन में देय थी। वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा इस प्रकार भुगतान किए गए रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं के माध्यम से वसूली योग्य नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2016-2017 से 2020-21 के दौरान कंपनी द्वारा स्थापित कैपेसिटरों की संख्या में आवश्यकताओं की तुलना में लगातार कमी थी। **तालिका 2.7** पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा कैपेसिटरों, दोषपूर्ण कैपेसिटरों की वर्षवार कमी और भुगतान किए गए रिएक्टिव ऊर्जा मुआवजे को दर्शाती है।

तालिका 2.7: 2016-17 से 2020-21 के दौरान स्वचालित पावर फैक्टर कैपेसिटरों और भुगतान किए गए रिएक्टिव ऊर्जा प्रभारों के विवरण

वर्ष	वर्ष के दौरान अपेक्षित नए कैपेसिटर	मरम्मत किए गए खराब कैपेसिटर	पुनरुद्धार की आवश्यकता वाले निवल दोषपूर्ण कैपेसिटर	भुगतान किए गए रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार
	(एम.वी.ए.आर.[26] में)			(₹ करोड़ में)
2016-17	285.920	शून्य	185.889	7.81
2017-18	116.430	36.60	136.827	7.95
2018-19	103.730	13.80	171.187	9.64
2019-20	200.030	19.00	208.767	11.31
2020-21	301.230	शून्य	260.762	4.27
कुल		**69.40**		**40.98**

स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी

2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान नए कैपेसिटर बैंकों की आवश्यकता 103.730 मेगावोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव (एम.वी.ए.आर.) से 301.230 तक थी। पुनरूद्धार की आवश्यकता वाले निवल दोषपूर्ण कैपेसिटरों में भी 2017-18 से लगातार वृद्धि हुई और 260.762 एम.वी.ए.आर. क्षमता के कैपेसिटर 31 मार्च 2021 तक दोषपूर्ण थे।

कंपनी ने 2016-17 और 2017-18 के दौरान ₹ 17.47 करोड़ की लागत से 298.80 एम.वी.ए.आर. के कैपेसिटर जोड़े और उसके बाद मार्च 2021 तक कोई कैपेसिटर नहीं जोड़ा गया। इसी दौरान, कंपनी दोषपूर्ण कैपेसिटरों की मरम्मत करने में विफल रही और 2016-17 से 2020-21 के दौरान केवल 69.40 एम.वी.ए.आर. कैपेसिटरों की मरम्मत की गई थी।

इस प्रकार, अपर्याप्त/दोषपूर्ण कैपेसिटर बैंकों के कारण, कंपनी को 2016-17 से 2020-21 के दौरान ₹ 40.98 करोड़ के रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार का भुगतान करना पड़ा। यदि कंपनी ने नए कैपेसिटर लगाकर और मौजूदा क्षतिग्रस्त कैपेसिटरों की मरम्मत करके पर्याप्त कैपेसिटर जोड़े होते, तो कंपनी रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार को कम कर सकती थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (मई 2022), अपर मुख्य सचिव (विद्युत) ने पुष्टि की कि यदि कार्यशील कैपेसिटर स्थापित किए गए होते, तो रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार के भुगतान से बचा जा सकता था।

[26] एम.वी.ए.आर. का अर्थ रिएक्टिव ऊर्जा का मेगावोल्ट एम्पीयर है।

यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी रिएक्टिव ऊर्जा प्रभारों के भुगतान से बचने के लिए पर्याप्त स्वचालित पावर फैक्टर कैपेसिटरों की खरीद और स्थापना के साथ-साथ क्षतिग्रस्त कैपेसिटरों की मरम्मत के लिए कार्रवाई करे।

मामला सरकार और कंपनी के पास भेजा गया था (फरवरी 2022); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 2022)।

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

2.3 220 किलोवोल्ट सब-स्टेशन के निर्माण पर निष्फल व्यय

कंपनी ने भूमि अधिग्रहण पर न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना सब-स्टेशन के निर्माण का कार्य प्रदान एवं निष्पादित किया जिसके परिणामस्वरूप निष्क्रिय सब-स्टेशन उपकरणों पर ₹ 12.76 करोड़ का निष्फल व्यय तथा ₹ 9.47 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.) ने 220 किलोवोल्ट सब-स्टेशन और अन्य उपयोगिताओं की स्थापना के लिए ₹ 1.55 करोड़ प्रति एकड़ की लागत से ग्राम शिकोहपुर, तहसील और जिला गुरुग्राम में 15.52 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया (जुलाई 2013)। इसमें से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (कंपनी) को सेक्टर-77, गुरुग्राम में 220 किलोवोल्ट सब-स्टेशन स्थापित करने के लिए 12 एकड़ जमीन आबंटित की (दिसंबर 2013) जिसे बाद में संशोधित कर (मई 2017) 11.20 एकड़ कर दिया गया था। इस बीच, कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों ने 2X100 मेगावोल्ट एम्पीयर, 220/33 किलोवोल्ट ट्रांसफार्मर की स्थापित क्षमता के साथ संबद्ध प्रसारण लाइनों सहित सेक्टर-77, गुरुग्राम में 220 किलोवोल्ट सब-स्टेशन के निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी (नवंबर 2013)। परियोजना की लागत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के मध्य हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के स्थायी निर्देशों (फरवरी 2007) के अनुसार 50:50 के अनुपात में साझा की जानी थी।

जनवरी 2015 में, भूमि मालिकों ने अपर जिला न्यायाधीश, गुरुग्राम के न्यायालय में भूमि के लिए वृद्धित मुआवजे हेतु मुकदमा दायर किया। कंपनी ने न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना सब-स्टेशन के निर्माण का कार्य ठेकेदार[27] को ₹ 58.24 करोड़ में सौंप दिया (मई 2017)। तथापि, कंपनी के फील्ड कार्यालय ने प्रारंभिक सर्वेक्षण में भूस्वामियों द्वारा उत्पन्न की गई कठिनाइयों और किसानों द्वारा इस भूमि पर खेती करते हुए देखा गया (जुलाई 2014/अक्तूबर 2017)।

जुलाई 2019 में, सक्षम न्यायालय ने भूमि मालिकों के पक्ष में मुआवजे के मामले का फैसला करते हुए, अन्य वैधानिक लाभों के साथ भूमि अधिग्रहण की दर ₹ 1.55 करोड़ प्रति एकड़ से बढ़ाकर ₹ 18.38 करोड़ प्रति एकड़ कर दी। न्यायालय द्वारा दिए गए उच्च मुआवजे के कारण, शहरी संपदा विभाग ने नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की

27 मैसर्ज कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, नोएडा।

कार्यवाही को छोड़ने और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार' की धारा 101 ए के अंतर्गत भूमि की अधिसूचना को रद्द करने का निर्णय लिया (नवंबर 2019)। यह बताता है कि जब कोई सार्वजनिक उद्देश्य, जिसके लिए अर्जित की गई भूमि अव्यवहार्य या गैर-जरूरी हो जाती है, तो राज्य सरकार ऐसी शर्तों पर ऐसी भूमि की अधिसूचना को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी जो राज्य सरकार द्वारा योग्य मानी जाती है, इस तरह के अधिग्रहण के कारण भूमि मालिक को हुए नुकसान, यदि कोई हो, के कारण मुआवजे का भुगतान शामिल है।

उस समय (नवंबर 2019) तक, कंपनी ने पहले ही ₹ 59.80 करोड़ की राशि का कार्य पूरा कर लिया था, जिसमें से ₹ 12.47 करोड़ सिविल और निर्माण कार्यों के संबंध में था। कंपनी ने बुनियादी ढांचे को दूसरे स्थान पर सेक्टर-75ए, गुरुग्राम में स्थानांतरित करने और ₹ 28.69 लाख की अतिरिक्त अनुमानित लागत पर पहले से निर्मित सब-स्टेशन के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का निर्णय लिया (जनवरी 2020)। राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया (जनवरी 2020) कि नए सब-स्टेशन के विघटन और निर्माण की लागत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और कंपनी के मध्य 50:50 के अनुपात में साझा की जाएगी। कंपनी ने सेक्टर 77, गुरुग्राम में 220 किलोवोल्ट सब-स्टेशन को तोड़ने और सेक्टर 75-ए गुरुग्राम में 220 किलोवोल्ट सब-स्टेशन के निर्माण के लिए टर्न-की आधार पर विघटित उपकरण सामग्री का उपयोग करके ई-निविदा आमंत्रित करने के लिए अक्तूबर 2021 में नोटिस जारी किया। निविदा आमंत्रण सूचना का परिणाम प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

अधिगृहीत भूमि की अधिसूचना को रद्द करने के लिए दिनांक 14 सितंबर 2018 की अधिसूचना में परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार, यदि अधिग्रहण करने वाले विभाग की राय है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत अधिगृहीत भूमि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अव्यवहार्य या आवश्यक नहीं है जिसके लिए इसे अधिगृहीत किया गया है और इसे अधिग्रहण से डिनोटिफाइड किया जाना चाहिए, यह सरकार को अपनी राय के बारे में सूचित करेगा और सरकार से अनुमोदन मांगेगा। प्रारंभिक जांच के बाद अधिग्रहण करने वाले विभाग की राय संबंधित जिला स्तरीय उप-समिति को इसकी प्राप्ति के एक महीने के भीतर भेजी जाएगी। जिला स्तरीय उप-समिति मामले की जांच करने के बाद अपनी सिफारिश करेगी और कारण बताएगी कि विचार के लिए संदर्भित अधिग्रहण करने वाले विभाग की राय स्वीकार करने योग्य है या नहीं। जिला स्तरीय उप-समिति अधिग्रहण करने वाले विभाग के प्रशासनिक सचिव को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जो सरकार की स्वीकृति के बाद मामले को मंत्रिस्तरीय उप-समिति के समक्ष रखेगा। मंत्रिस्तरीय उप-समिति की रिपोर्ट कैबिनेट द्वारा निर्णय के लिए प्रस्तुत की जाएगी, जो अधिसूचना को रद्द की अनुमति दे सकती है। तथापि यह देखा गया था कि राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद भी मामला अब तक जिला स्तरीय उप-समिति/मंत्रिस्तरीय उप-समिति के पास नहीं भेजा गया है और कैबिनेट समिति का कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है।

यह भी देखा गया था कि न तो कंपनी और न ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अधिगृहीत भूमि की अधिसूचना को रद्द करने की सिफारिश की और शहरी संपदा विभाग (हरियाणा में भूमि

के अधिग्रहण की प्रक्रिया करने वाला प्राधिकरण) द्वारा अधिसूचना रद्द करने का निर्णय लिया गया। तथापि, शहरी संपदा विभाग दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इसे गैर-अधिसूचित करने के अपने तार्किक निष्कर्ष तक इसका पालन नहीं किया। आगे, शहरी संपदा विभाग द्वारा क्षेत्रीय प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और भूमि अधिग्रहण अधिकारी, गुरुग्राम को ड्राफ्ट डी-नोटिफिकेशन आदेश जारी करने के आदेश (22 नवंबर 2019) को उच्च न्यायालय द्वारा भूमि मालिक द्वारा दायर याचिका पर रोक दिया गया है (दिसंबर 2021)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि भूस्वामियों द्वारा दायर वृद्वित भू-मुआवज़े के मुकदमे और जुलाई 2014/अक्तूबर 2017 में भूस्वामियों द्वारा उत्पन्न की गई बाधाओं के बारे में जानने के बावजूद, कंपनी ने सब-स्टेशन का कार्य सौंप दिया और उसके बाद विवादित भूमि पर कार्य नहीं रोका।

परिणामस्वरूप, सिविल कार्यों और इसके विघटन पर ₹ 12.76 करोड़ (₹ 12.47 करोड़ + ₹ 0.29 करोड़) का व्यय व्यर्थ साबित हुआ। सब-स्टेशन के लिए ₹ 47.33 करोड़ के आपूर्ति किए गए उपकरणों की लागत भी बेकार निवेश थी और इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.47 करोड़ (10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गणना की गई) के ब्याज की हानि हुई। आगे, सब-स्टेशन का निर्माण न होने के कारण निवासी सब-स्टेशन के निर्माण से मिलने वाले लाभों से वंचित रह गए।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (मई 2022), अपर मुख्य सचिव (विद्युत) ने बताया कि अधिसूचना रद्द करने के मुद्दे पर रोक अधिग्रहण करने वाले विभाग और भूस्वामियों के बीच का मामला था और सब-स्टेशन को जल्द से जल्द तोड़ा जाना था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि राज्य सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण छोड़ दिया गया था। न्यायालय के फैसले के आधार पर वित्तीय नतीजों को ध्यान में रखते हुए शीर्ष प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया था, जो बाद में सामने आया। निर्णय, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और राज्य द्वारा लिया गया था जिनके पास हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने का अधिकार है और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की अधिग्रहण कार्यवाही में कोई भागीदारी नहीं थी। तथ्य है कि भूमि की विवादित स्थिति से अवगत होने के बावजूद कंपनी ने सब-स्टेशन के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया। कंपनी को विकल्पों (कार्य स्थल/स्थान सहित) की तलाश करनी चाहिए थी या यदि यह आकलन था कि न्यायिक घोषणा का उनके बुनियादी ढांचे के विकास और उपयोग पर प्रभाव पड़ेगा, सब-स्टेशन के निर्माण से पहले मुकदमे के परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी।